न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 01

दायरा दिनांक:– 23.7.2020

रामनारायण पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

........अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बम्बू जरीये सरपंच बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

..........रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1583 दिनांक 7.6.2019 ग्राम पंचायत बम्बू

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते अपीलान्ट

–: निर्णय :–

दिनांक:– 15.01.2021

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– यह कि अशोककुमार पुत्र खीवणी पुत्री हरखाराम उर्फ हरूराम जाति कुम्हार निवासी साण्डवा के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 661 छः सौ इकसठ तादादी 16.8070 सौलह दसमलव आठ हजार सतर हेक्टेयर वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित था जिसमें अशोककुमार की 1/56 एक बटा छप्पन हिस्सा भूमि संयुक्त खातेदारी की स्थित थी। खातेदार अशोककुमार से अपीलान्ट के खरीद शुद्धा खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 661 छः सौ इकसठ तादादी 16.8070 सौलह दसमलव आठ हजार सतर हेक्टेयर में सें 1/56 एक बटा छप्पन हिस्सा भूमि वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। अपीलान्ट ने अशोककुमार का 1/56 एक बटा छप्पन हिस्सा जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2018 के द्वारा खरीद किया था। खरीद करने के दिन से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग अपीलान्ट का चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त अपीलान्ट का ही है। बीच में पुख्ता सींव कायम है। अपीलान्ट ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2018 की प्रति पटवारी हल्का बम्बू को अपने नाम से नामान्तरण दर्ज कराने के लिए दी। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2018 के आधार पर नामान्तरण संख्या 1583 खोलकर भू. अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाकर दिनांक 7.6.2019 को स्वीकृत करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरण संख्या 1583 को उसी दिन बिना जांच पडताल किये कब्जा के अभाव में [illegible] दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कृत्य ये था कि नामान्तरण संख्या 1583 को [illegible] उपभोग की जानकारी तस्दीक

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

करवाना था मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मौका कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही नामान्तरण संख्या 1583 को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरण संख्या 1583 को निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देता तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर देता। कब्जा काश्त के संबध में जांच करवाता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही कोई साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया और ना ही मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना मनमाने तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरण संख्या 1583 को अपीलान्ट के पिठ पिछे निरस्त किया। जिससे अपीलान्ट को सारवान हानी उठानी पडेगी। ओर अपने कानुनी अधिकारों से वंचित हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरती है। उक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट अपनी खरीद शुद्धा खातेदारी भूमि से महरूम हो गया है जिससे अपीलान्ट का हित पूर्णतया प्रभावित हुआ है। अपीलान्ट जब दिनांक 20.05.2020 को पटवारी हल्का से अपने खरीद शुद्धा खेत की जमाबंदी की नकल लेने गया तब पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को बताया कि खेत खसरा संख्या 661 वाके रोही बम्बू में उसका नाम अंकित नहीं है। तथा पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा संख्या 661 में तुम्हारा नाम दर्ज करने का नामान्तरण संख्या 1583 ग्राम पंचायत बम्बू ने निरस्त कर दिया है। तब अपीलान्ट ने नामान्तरण संख्या 1583 की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से दिनांक 20.05.2020 को प्राप्त की। तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम नामान्तरण संख्या 1583 के निरस्त होने की जानकारी हुई। इससे पहले अपीलान्ट को नामान्तरण संख्या 1583 के निरस्त होने की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने श्रीमानजी के समक्ष अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर छुट प्राप्त करके यह अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसे अवधि भीतर मानकर सुनवाई की जावे। इस प्रकार अपील अपीलान्ट अवधि भीतर प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत बम्बू द्वारा पारित किया गया है जिसके बाबत अपील सुनने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर अपील पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरीये समन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार राज की तरफ से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 1583 दिनांक 7.6.2019 रोही ग्राम बम्बू की प्रमाणित प्रति पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि वादगत भूमि अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि है। उक्त भूमि को अपीलान्ट ने जरीये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1.10.2018 के आधार पर कय किया था तथा उसी दिन कय भूमि पर कब्जा कर लिया था। वादगत भूमि पर कय दिनांक से आज दिनांक को कब्जा [illegible] अपीलान्ट का ही है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 [illegible] निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरण को निरस्त करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी मनमर्जी से नामान्तरण को निरस्त किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कर्तव्य है कि नामान्तरण संख्या 1583 को निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करे। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ऐसा नहीं किया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरण संख्या 1583 को निरस्त करने से पूर्व वादगत भूमि पर अपीलान्ट के कब्जा काश्त के बारे में भी जांच नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तरण संख्या 1583 दिनांक 7.6.2019 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1.10.2018 का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने वादगत भूमि जरीये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1.10.2018 के आधार पर कय की है। पंजीकृत विकय पत्र में इस बात का अंकन है कि विकेता ने विकित भूमि पर केता का कब्जा करवा दिया है। जब विकेता ने केता का वादगत भूमि पर कब्जा करवा दिया है तब कब्जा संबधी विवाद ही नहीं रहा है। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लगता है कय भूमि पर केता का कब्जा नहीं है तो केता को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिये था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया है जो कानूनी रूप से उचित प्रतित नहीं होता है। क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी को किसी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरण संख्या 1583 को गलत रूप से निरस्त किया है जिससे अपीलान्ट के पूर्णतया खातेदारी अधिकारों का हनन हुआ है ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही कानून सम्मत नहीं है। इस कारण जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त मतानुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1583 दिनांक 7.6.2019 ग्राम पंचायत बम्बू निरस्त किये जोन योग्य है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 7.6.2019 नामान्तरकरण संख्या 1583 ग्राम पंचायत बम्बू को निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार बीदासर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसमत निर्णय करें। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को सुरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:06:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला - चूरू

Scanned by CamScanner